संचिका सं0 7/प0क0 ... 35/08/2023 24 – 187(7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण ,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक– 08/06/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप में प्रतिमाह रू0 3000/– के भुगतान हेतु बजटीय उपबंध के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि से रू0 9,90,00,000/– (रूपये नौ करोड़ नब्बे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर को विभागीय संकल्प संख्या–789(12) दिनांक–09.08.2019 के माध्यम से उल्लेखित शर्त्तो के साथ 1000 रू० प्रतिमाह पारितोषिक निर्धारित की गई थी। वर्तमान मे विभागीय संकल्प संख्या–197(7) दिनांक-06.08.2025 के माध्यम से शेष यथावत शर्त्तो के साथ रूपये 1000/– (एक हजार रू0) मात्र प्रति माह मे रूपये 2000/– की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रूपये 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक निर्धारित की गई है। पुन विभागीय संकल्प संख्या–340(7) दिनांक–04.10.2025 के द्वारा दिनांक–01.07.2025 की तिथि से प्रभावी का संशोधित संकल्प भी निर्गत किया गया है।

2– वर्तमान मे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक–842 दिनांक–15.05.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 मे पारितोषिक राशि के भुगतान हेतु राशि रू0 4,05,74,16,000/– (चार अरब पॉच करोड चौहत्तर लाख सोलह हजार) मात्र की मांग की गई है।

3– राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त मांग के समीक्षोपरात वित्तीय वर्ष 2026–27 अतर्गत वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों मे कार्यरत आशा कार्यकर्ताओ एव फैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप मे प्रतिमाह रू0 3000/– के भुगतान के निमित रू0 9,90,00,000/– (रूपये नौ करोड नब्बे लाख) मात्र की संविदा सेवाये मद मे व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98 8543 वि0(2), दिनाक–27.11.2007, संकल्प संख्या–545(12), दिनाक–11.06.2019, विभागीय संकल्प संख्या–197(7) दिनाक–06.08.2025 तथा अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे की जायेगी।

5– इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–उप मुख्यशीर्ष–06–लोक स्वास्थ्य लघुशीर्ष–101-रोगो का निवारण तथा नियंत्रण–उपशीर्ष–0114– आशा कार्यकर्ता एव फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, विपत्र कोड–20–2210–06–101–0114–28–02 संविदा सेवाएँ अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6— राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह- निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख होंगे। अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0 एल0 खाता संख्या–PBBPLA011 मे हस्तान्तरित करायेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति नियमानुसार उतनी राशि, जितनी तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक हो, की निकासी कर संबधित खाते मे हस्तानान्तरित करेगी। किसी भी परिस्थिति मे पी0एल0 खाते से अग्रिम राशि की निकासी कर बैक खातो मे पार्क नही किया जाय।

7— उपरोक्त खाता का धन-ऋण ज्ञापन संसगत कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगे एव इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। उपरोक्त राशि के अनावश्यक रूप से पार्क होने की जिम्मेवारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की होगी।

8— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

9— प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति सचिका सख्या–7/प0क0–बजट–33–08/2023–24 के पृष्ठ–182/टि0 मे प्राप्त है ।

10— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

11— सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12— प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

8.6.26.

(शभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7/प0क0–बजट–33–08/2023–24-184(7)/स्वा0, पटना, दिनांकः– 08/06/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबधित सभी जिला पदाधिकारी/सबधित सभी सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी– 07, 12/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.6.26.

सरकार के अपर सचिव।